झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–राँची–10 / 2012 ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक– 672 दिनांक– 03.09.2011 द्वारा श्री मथुरा प्रसाद, (ID-J5645) तत्कालीन कनीय अभियंता, (प्रतिनियुक्त भण्डरा प्रखण्ड) के विरूद्ध गठित प्रपत्र–'क' को प्रेषित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्रपत्र–'क' में श्री मथुरा प्रसाद के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप गठित है :–

1. श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता, प्रतिनियुक्त भण्डरा प्रखण्ड द्वारा निर्माणाधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थल जाँच कराने के अनुरोध को अनसुना कर उच्चाधिकारी के निर्देश की अवहेलना करना।
2. चाल्हो स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र भवन में ईंट जोड़ाई एवं कॉलम में क्यूरिंग का कार्य नहीं किया गया। श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता को अवगत कराया गया। परन्तु श्री प्रसाद द्वारा बिना छड़ बिछाये जाँच के ढलाई बिचौलिये के माध्यम से करा दिया गया। कार्य स्थल पर 'खेलारी' कम्पनी के सिमेन्ट का प्रयोग पाया गया। इस प्रकार प्राक्कलन के प्रतिकूल कार्य सम्पन्न कराया गया जिसमें तकनीकी इनपुट देने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया जिससे योजना की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
3. कुम्हरिया मियाँ, टंगरा टोली आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण कार्य में कॉलम की ढलाई, नींव में ईंट जोड़ाई विशिष्ट के अनुसार नहीं है। क्यूरिंग कार्य नहीं कराया गया। कॉलम की ढलाई के पश्चात् छड़ दिखाई पड़ रहे हैं जिसे तोड़कर निर्माण करने के स्थान पर इसे प्लास्टर से ढंक दिया गया। नींव में ढलाई समुचित मोटाई में नहीं है। साथ ही ढंगरा पत्थरपर सीधे ईंट की जोड़ाई दस ईंच से प्रारम्भ किया गया है जबकि छः ईंच पी०सी०सी० करने के पश्चात् बीस ईंच चौड़ाई में जोड़ाई छः ईंच ऊँचाई में फिर पन्द्रह ईंच चौड़ाई में छः ईंच ऊँचाई में ईंट जोड़ाई करने का प्रावधान है जिसे नहीं किया गया। कॉलम के छड़ को पत्थर में ड्रीलिंग कीले के पश्चात् ही खड़ा करना चाहिए था। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा कनीय अभियंता के दायित्व का निर्वहन न कर प्राक्क्लन के प्रावधानों के अनुसार कार्य सम्पन्न नहीं कराया गया और कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई जिससे योजना की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
4. बुडका टोली बेदाल आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना में कनीय अभियंता श्री मथुरा प्रसाद की लापरवाही के कारण गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उक्त योजना में छड़ बंधाई का Recovered Measurement मापी पुस्त में दर्ज कर उसकी जाँच वरीय अभियंताओं से कराने का दायित्व था एवं तत्पश्चात् ही ढलाई कार्य होना चाहिए था। छड़ ढलाई के पश्चात् छड़ दिखाई पड़ रहा है एवं छत की ढलाई की मोटाई 4 ½" होनी चाहिए थी जो नही है। ढलाई कनीय अभियंता की उपस्थिति में होती है अतः प्राक्कलन से ऐसा विचलन इनकी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है।

5. श्री मथुरा प्रसाद द्वारा अधीनस्थ योजनाओं का ससमय मूल्यांकन नहीं किया जाता है। भण्डरा प्रखण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत सचिवालय) भवन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन दिनांक– 15.04.2011 के पश्चात् श्री प्रसाद द्वारा नहीं किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भण्डरा द्वारा श्री प्रसाद को योजनाओं का अद्यतन मापी करने हेतु अनेकोबार निर्देश दिया गया, परन्तु प्रतिवेदित तिथि 01.08.2011 तक श्री प्रसाद द्वारा अद्यतन मापी नहीं किया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है।

6. श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता, प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेते है जिस कारण योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार, श्री प्रसाद उच्चाधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करते हैं तथा स्वेच्छाचारी है।

II. उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3772 दिनांक– 21.07.2015 द्वारा श्री मथुरा प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

III. उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 1052 दिनांक– 30.08.2016 द्वारा जाँच समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मथुरा प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोप सं०– 02, 03 एवं 04 को प्रमाणित पाया गया।

IV. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री मथुरा प्रसाद से प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव से साथ विभागीय पत्रांक– 2138 दिनांक– 05.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई –

(i) प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र के प्राक्कलित राशि रू० 4,32,000.00 (चार लाख बत्तीस हजार रूपये) का 15% (पन्द्रह प्रतिशत) वसूली अर्थात् तीन आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए कुल रू० 1,94,400.00 (एक लाख चौरानबे हजार चार सौ रू०) की वसूली जो सेवा में रहने तक रू०15,000.00 (पन्द्रह हजार रू०) प्रतिमाह एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय उपादान से शेष राशि की एकमुश्त कटौती।

V. श्री मथुरा प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब पर निर्णय/समीक्षा के क्रम में वे दिनांक– 30.11.2017 को सेवानिवृत हो गये। फलस्वरूप श्री मथुरा प्रसाद के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक– 354 दिनांक– 18.01.2018 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी में सम्परिवर्त्तित किया गया एवं प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक– 391 दिनांक– 19.01.2018 द्वारा पुनः द्वितीय कारण पृच्छा श्री मथुरा प्रसाद से की गई –

(i) पेंशन राशि से 5% (पाँच प्रतिशत) की कटौती सात वर्षों तक।

VI. उक्त के आलोक में श्री मथुरा प्रसाद के पत्रांक– शून्य दिनांक– 05.02.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। इसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री मथुरा प्रसाद के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें निम्न दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) पेंशन राशि से 5% (पाँच प्रतिशत) की कटौती सात वर्षों तक।

VII. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : .....राँची/दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 3826 राँची/दिनांक 06/09/18

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, लोहरदगा/अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा/श्री मथुरा प्रसाद, सेवानिवृत, कनीय अभियंता, ग्रा०–महादेव बिगहा, पो०–ओडो, थाना–हसुआ, जिला–नवादा (बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3826, 30/08/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव